भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1931

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0

1931. श्री राजू बिष्ट:
श्री राहुल कस्वां:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2023 से अब तक मातृत्व लाभों के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने और लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) जनवरी 2022 से अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई तथा विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) जनवरी 2022 से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) जनवरी 2022 से अब तक जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए लाभार्थियों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार पीएमएमवीवाई के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इसमें अन्य घटकों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अत्यधिक विसंगति वाले राज्यों सहित अकुशल श्रमिकों के लिए पीएमएमवीवाई 2.0 मुआवजे और राज्य के मासिक वेतन के बीच अंतर को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) यह मंत्रालय संकल्प-महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यकलाप जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय कर्मियों के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय समय-समय

पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है तथा कोई जिलावार निधि आवंटित/जारी नहीं की जाती है।

(ग) वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और (दिनांक 30.11.2024 तक) के दौरान पीएमएमवीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**नामांकित लाभार्थियों की संख्या**
2021-22	52,30,822
2022-23	61,58,404
2023-24	53,07,969
2024-25 (दिनांक 30.11.2024 तक)	28,38,487

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जहां संस्थागत प्रसव दर कम है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों को निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एलपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक है, केवल बीपीएल/एससी/एसटी परिवारों की गर्भवती महिलाएं ही जेएसवाई लाभ के लिए पात्र हैं। इन राज्यों को जेएसवाई के अंतर्गत उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एचपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गर्भवती महिलाओं की आयु सीमा अर्थात 19 वर्ष या उससे अधिक तथा अधिकतम दो बच्चे की शर्त को 08.05.2013 से हटा दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
2021-22	1,478.73
2022-23	1,778.10
2023-24	1,814.86
2024-25 (दूसरी तिमाही तक)	607.00

(ङ) पीएमएमवीवाई के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) पीएमएमवीवाई का एक उद्देश्य वेतन की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। पीएमएमवीवाई 2.0 मुआवजे

और राज्य मासिक वेतन के बीच अंतर को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

<u>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 के संबंध में श्री राजू बिष्ट और श्री राहुल कस्वां द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1931 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

<u>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि में केंद्रीय हिस्से और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण</u>

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (दिनांक 03.12.2024 तक)	
		(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में)	
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.19	0.71	0.18	0.74^	0.00	0.40 ^	0.33	
2.	आंध्र प्रदेश	20.22	14.43	71.89	95.81^	57.99	63.18* ^	0.00	
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.13	6.31^	1.43	2.29^	0.00	0.63* ^	0.00	
4.	असम	35.47	95.78^	79.18	एन.आर.	155.05	69.23*	0.00	
5.	बिहार	211.74	113.71	171.74	216.12^	0.00	11.1 ^	0.00	
6.	चंडीगढ़	1.89	2.27^	0.62	0.05	4.08	0.00	0.00	
7.	छत्तीसगढ़	38.66	34.78	72.75	45.00	0.00	19.03^	24.43	
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1.71	0.04	1.84	1.82	0.91	1.37^	0.00	
9.	दमन और दीव								
10.	गोवा	1.09	0.73	1.61	1.12	0.00	0.4^	0.80	
11.	गुजरात	46.32	25.21	10.75	94.37^	75.64	64.87*	0.00	
12.	हरियाणा	40.02	40.91^	63.66	95.81^	0.00	4.41* ^	0.00	
13.	हिमाचल प्रदेश	21.17	18.88	14.19	16.24^	10.56	3.68	11.43	
14.	जम्मू और कश्मीर	39.34	32.85	20.60	24.43^	33.60	2.67	0.00	
15.	झारखंड	58.39	35.24	29.27	एन.आर.	0.00	26.14* ^	0.00	यूसी अभी
16.	कर्नाटक	142.77	72.57	148.87	210.10^	113.96	44.22	64.44	

17.	केरल	53.37	57.5^	53.96	45.93	61.06	20.33	0.00	तक देय नहीं है
18.	लद्दाख*	0.38	0.36	0.31	0.07	0.69	0.63*	0.00	
19.	लक्षद्वीप	0.11	0.14^	0.14	0.11	0.23	0.23	0.27	
20.	मध्य प्रदेश	130.29	102.19	204.02	101.21	105.51	95.27	105.52	
21.	महाराष्ट्र	99.50	149.02^	240.83	NR	0.00	44.74^	0.00	
22.	मणिपुर	1.15	2.90^	3.45	3.14	7.93	3.70*	0.00	
23.	मेघालय	5.08	6.06^	6.26	6.04	0.00	1.96*	0.00	
24.	मिजोरम	2.90	2.99^	1.99	1.78	1.40	1.09*	0.70	
25.	नागालैंड	4.98	2.13	2.03	6.95^	2.42	1.91	3.1	
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	28.31	25.82	31.46	31.09	27.15	18.46*	0.00	
27.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.	पुदुचेरी	2.39	2.98^	1.96	NR	0.00	0.09*^	0.00	
29.	पंजाब	16.47	9.9	18.82	34.54^	32.05	29.72	17.25	
30.	राजस्थान	108.20	98.06	81.84	114.15^	123.23	56.33	0.00	
31.	सिक्किम	0.42	0.44^	0.70	1.11^	1.28	0.39	0.00	
32.	तमिलनाडु	35.02	111.21^	68.03	78.86^	0.00	37.63*^	0.00	
33.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34.	त्रिपुरा	4.53	4.49	3.27	4.71^	11.31	2.79	0.00	
35.	उत्तर प्रदेश	290.85	199.70	500.68	640.89^	0.00	123.97*^	0.00	
36.	उत्तराखंड	20.71	23.81^	16.69	एन.आर.	30.35	19.68	0.00	
37.	पश्चिम बंगाल	162.58	0.005	63.22	एन.आर.	0.00	0.00	0.00	
	कुल	**1628.35**	**1294.12**	**1988.14**	**1874.48**	**856.42**	**770.25**	**228.27**	

^ - इस धनराशि में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि भी शामिल है।

* - इस राशि में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया।

******